



प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ०प्र०

(पूर्ववर्ती: इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय)

Prof. Rajendra Singh (Rajju Bhaiya) University, Prayagraj, U.P.


(Formerly: Allahabad State University)

पत्रांक: प्रो०रा०सि०वि०वि०/प०नि०का०/ 32 /2021

दिनांक 01 फरवरी, 2021


कार्यालय-ज्ञाप

इस कार्यालय के पत्र संख्या- प्रो०रा०सि०वि०वि०/प०नि०का०/25/2021 दिनांक 21 जनवरी, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से वार्षिक/सम सेमेस्टर परीक्षा सत्र 2019-20 के अनुचित साधन प्रयोग में आरोपित परीक्षार्थियों को सुनवाई का अवसर देते हुए अपना प्रत्यावेदन महाविद्यालय के माध्यम से 07 कार्यदिवस के अन्दर विश्वविद्यालय की यू०एफ०एम० समिति को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्धारित किया गया था, के क्रम में मा० कुलपति महोदय के अनुमोदन से ऐसे समस्त अनुचित साधन प्रयोग में आरोपित परीक्षार्थियों को जो अभी तक अपना प्रत्यावेदन नहीं देपाये हैं उनको पुनः सुनवाई का एक और अवसर देते हुए अन्तिम अवसर के रूप में अपना प्रत्यावेदन लिखित/व्यक्तिगत रूप से दिनांक: 03.02.2021 को आहूत यू०एफ०एम० समिति की बैठक में उनके समक्ष प्रस्तुत करना/होना सुनिश्चित करें। तत्पश्चात यू०एफ०एम० समिति द्वारा लिए गये निर्णय पर पुर्नविचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।


डॉ० (कुलदीप सिंह)
परीक्षा नियंत्रक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्राचार्य/प्राचार्या विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सम्बन्धित समस्त महाविद्यालय।
2. यू०एफ०एम० समिति को सूचनार्थ एवं दिनांक: 03.02.2021 को सुनवाई एवं कार्यवाही पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने हेतु।
3. समस्त अधिकारीगण।
4. सहायक कुलसचिव (परीक्षा) को सूचनार्थ।
5. निजी सचिव कुलपति को, मा० कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
6. वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
7. प्रभारी एजेन्सी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त कार्यालय-ज्ञाप एवं संलग्न सूची को सम्बन्धित महाविद्यालयों की कालेज लॉगिन एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।


डॉ० (कुलदीप सिंह)
परीक्षा नियंत्रक